

देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।  
पत्रांक 105 / उधान / नि0सू0 / 2022-23 दिनांक 13 मई, 2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून में पंजीकृत अनुभवी फर्मों से जो आयकर / व्यापार कर / जी0एस0टी0 देहरादून में पंजीकृत हो से मसूरी माल रोड पर ऑरनामेंटल रेलिंग तथा ऑरनामेंटल पोल की रंगाई पुताई के विकास कार्य एवं लाईब्रेरी चौक पर स्थित हवाघर तथा चारों ओर रेलिंग की रंगाई पुताई के कार्य की निविदा दिनांक ~~20-5-22~~ को अपरान्ह 3.30 बजे तक टेन्डर बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एम0डी0डी0ए0कार्यालय से दिनांक ~~14-5-22~~ से दिनांक ~~19-5-22~~ अपरान्हन 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 1180/- का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के संबंध में सर्वाधिकार उपाध्यक्ष में निहित होगा। विस्तृत जानकारी एवं कार्य का विवरण सहित सभी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की बैबसाईट पर उपलब्ध है।

विशेषक समन्वयक,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 105 / उधान / नि0सू0 / 2022-23 दिनांक

13 मई, 2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से जो आयकर एवं जी0एस0टी0के अन्तर्गत पंजीकृत हो से निम्नलिखित 01 कार्य हेतु निविदा दिनांक 20.05.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ऑफ लाईन (टेन्डर बॉक्स) के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। आगणन में अंकित विषयों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप /आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 1180/- (जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के अभि0 अनुभाग में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। जिनको बैंबसाइट की उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा। अन्य शर्तें जी0पी0ठब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंस सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी संशोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7-75 (सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य वैट सहित	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि रू0	कार्य की अवधि	निविदा की वैधता
1	मसूरी माल रोड पर ऑरनामेंटल रेलिंग का कार्य, ऑरनामेंटल पोल की रंगाई पुताई का कार्य तथा लाईब्रेरी चौक पर स्थित हवाघर तथा चारों ओर रेलिंग की रंगाई पुताई का कार्य	1180.00	8.40	25,200.00	02 माह	90 दिन

शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

SPECIFICATIONS

1. There shall be maintained in a readily accessible place first aid appliances including adequate supply of sterilized dressings and cotton wool.
2. An injured person shall be taken to a public hospital without loss of time, in case where the injury necessitates hospitalization.
3. Suitable and strong scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from ground.
4. No portable single ladder shall be over 8 meters in length. The width between the said rails shall not be less than 30 cm (clear) and the distance between two adjacent rungs shall not be more than 30 cm. When a ladder is used an extra labour shall be engaged for holding the ladder.
5. No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.
6. Suitable face-masks should be supplied for use by the workers when the paint is applied in the forms of spray or surface having lead paint is being dry rubbed and scraped.
7. Overalls shall be supplied by the Contractor to the painters and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during the periods of cessation of work.
8. Hoisting machines and tackle used in the works, including their attachments anchorage and supports shall be in perfect condition.

9. The ropes used in hoisting or lowering material or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from defects.

### Surface Preparation:

1. In case of rain or bad weather, surface preparation shall not be carried out outdoors.
2. When the surface substrata is wet, preparation shall not be carried out.
3. When surface preparation is carried out during the night or in dark locations (inside of tanks, etc.), proper lighting arrangements shall be made to check the extent of rust removal from the surface.

### Painting:

#### Protection:


Contractor shall fully protect all equipments, piping, walls, floors and other surfaces from damage and contamination, and shall provide the necessary protection required to fully protect all surfaces from dust, paint droppings, paint mist, other contaminants during the process of painting work. Care shall be taken to protect all stainless steel surfaces from Zinc Paint.

#### Mixing of Paint:

1. Paint shall be thoroughly stirred before use.
2. For multi-liquid type paint, the specified mixing ratio and pot life shall be observed


#### Application:

1. Painting shall be done either by brushing or by spraying.
2. Painting tools, suitable for the paint work shall be used according to manufacturer's recommendation and as per work location, environment, shape of the items to be painted, and condition of surface to be painted.
3. Each coat shall be painted in the order specified in the painting system. During painting, the overcoat intervals and films thickness specified shall be maintained as per manufacturer's recommendations and according to the properties and performance of the paint.
4. Where each coat is applied successively, such continuous painting work shall be carried out after the lapse of specified drying time and drying of previous film has been confirmed.

  
विशेषक समन्वयक,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ० का० हेतु।

- 1- सचिव, म०दे०वि०प्रा० देहरादून।
- 2- मुख्य लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।
- 3- नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्डों हेतु।
- 4- नाजिर म०दे०वि०प्रा० को इस आषय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 5- सिस्टम एडमिनेस्ट्रेटर को इस आषय से कि उक्त विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- प्राधिकरण बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 7- संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

  
विशेषक समन्वयक,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।